†श्री मोहम्मद सलीम : मेहरबानी। कैंसर जान लेवा बीमारी है। यह सब लोग बोल रहे हैं लेकिन प्रिवेंशन भी करना चाहिए। एडवर्टीजमेंट का। कंट्रोल का मतलब है प्रिवेंशन जो तमाखू चबाते हैं पान बहार पान मसाला आदी। इस सरकार के आते ही अखबार में यह न्यूज आई कि इसे बैन कर दिया जाएगा। इस दिशा में डिमांड है कि "ओरल कैंसर" होता है इसलिए पान मसाला आदी को। मैं ब्रांड का नाम नहीं बोल रहा हूं। इसे प्रमोट किया जाएगा। लेकिन मेरे पास खबर है कि क्या यह सच है कि जो प्रमोशन करने वाले लोग हैं। करोड़ों का प्रमोशन होता है। वह सब कहीं पहले और दूसरे दिन से हेल्थ मिनिस्ट्री ने इस बात को ठुकरा दिया कि यह बैन नहीं होने वाला है। क्या कारण है कि एक महीना पहले आपका मिनिस्टर यह कह रहा था कि पान मसाला से कैंसर होता है इसलिए इसको बैन करना पड़ेगा। इन लोगों से आपकी क्या बैठक हुई। क्या फैसला हुआ कि दूसरे दिन से आपने इस बात को दबा दिया। क्या अब आप यह महसूस नहीं करते कि पान मसाला से कैंसर हो सकता है। कैंसर की रोक थाम के लिए क्या आप इस पर पाबंदी लगाएंगे। और कब लगाएंगे।

†[ ] Transliteration in Arabic Script.

SHRI DALIT EZHILMALAI: So far as the question of Pan Masala and Gutkha is concerned, Sir, we have set up a committee in the Ministry itself. They are investigating this issue. We are not going to be cowed down by any delegation. The Health Ministry has made a policy in this regard. This matter is not concerned with the Health Ministry only. This matter is concerned with three or four Ministries. An inter-Ministerial meeting will be convened very soon. After that we will be able to finalise it. We have constituted a committee in our Ministry.

SHRI S.B. CHAVAN: Mr. Chairman, Sir, it is a very simple question of not getting a utilisation certificate from the State Government and diverting funds for any other purpose. Since the hon. Minister is new, I don't want to put a number of questions to him. But Shri Ish Dutt Yadav said that there was a report of the Public Accounts Committee in which it had been stated that there was a total misappropriation of funds. In spite of that, if the officers have not supplied this information, will the hon. Minister try to go deep into the matter and find out if there is misappropriation or misutilisation of funds?

SHRI DALIT EZHILMALAI: Sir, there is no report of misutilisation or misappropriation of funds. It is true that we have not received the utilisation certificate.

MR. CHAIRMAN: But he has asked something else. He has referred to the report of the Public Accounts Committee. Have you seen it?

SHRI DALIT EZHILMALAI: Sir, there is no mention of misutilisation or misappropriation in the Committee report.

SHRI S.B. CHAVAN: It will be better if you go through the report and find it out.

SHRI DALIT EZHILMALAI: Sir, we will look into the matter.

MR. CHAIRMAN: Question No. 42.

*42. [The questioner (Shri Dilip Singh Judev) was absent. *For answer*, vide col. 32 *infra*.]

रेलवे में परिचालन व्यय की तुलना में प्रशासनिक व्यय

*43. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया:†**
श्री बरजिन्दर सिंह:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सच है कि रेलगाड़ियों के परिचालन हेतु ईंधन पर किया जाने वाला व्यय, रेलवे पर व्यय की

†सभा में यह प्रश्न श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया द्वारा पूछा गया।

जाने वाली राशि की मात्रा 22 प्रतिशत ही होती है, जबकि इसका प्रशासनिक व्यय 54 प्रतिशत है;

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या प्रशासनिक व्यय के औचित्य के संबंध में सरकार द्वारा कोई अध्ययन कराया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी नहीं।

(ख) रेलों द्वारा गाड़ियों के परिचालन के लिए ईंधन पर किया गया खर्च, साधारण संचालन व्यय (पेंशन को छोड़कर) के अंतर्गत किए गए कुल खर्च का, लगभग 22% है। प्रशासनिक खर्च अर्थात्, प्रबंधन और कार्यालयों में स्थापना पर होने वाला खर्च केवल 8% है। प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित 54% के आंकड़े में 8% प्रशासनिक खर्च के अलावा रेल परिसंपत्तियों के अनुरक्षण तथा गाड़ियों के परिचालन कार्य में बड़ी संख्या में लगे कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते तथा पेंशन संबंधी लाभ शामिल हैं। अंतरिम बजट 1998-99 के अनुसार यह लगभग 56% है।

(ग) और (घ) केवल प्रशासनिक खर्चों के संबंध में, सरकार द्वारा कोई निशिष्ट अध्ययन नहीं किया गया है। बहरहाल, 1981 में सरकार ने एक उच्चधिकार प्राप्त समिति, अर्थात् रेल सुधार समिति, की स्थापना की थी, जिसने रेलों के संबंध में एक व्यापक अध्ययन किया था और कार्मिक रेल कार्य प्रणाली के अनेक पहलुओं पर रिपोर्टें प्रस्तुत की थीं। इसके अलावा, समय-समय पर रेलों के भीतर, जब कभी अपेक्षित होता है, अध्ययन किए जाते हैं।

SHRI BALWANT SINGH RAMOOWALIA: As per the statement which has been laid on the Table of the House, the Minister has accepted my views that 22 per cent of the total amount spent by the Railways is spent on fuel and operational areas connected with fuel. He has also accepted that 54 per cent of the total expenditure is being spent on administrative expenditure. On the one hand there are expectations and on the other hand something is being discussed in the air. The Government and the hon. Minister are thinking of diverting the subsidy from freight traffic to passenger traffic.

That is, subsidy given to passenger traffic from freight traffic earnings would help in cheaper cost to the travellers. Now you are also trying to increase in a phased manner the fares. But you are also trying in other areas to raise more funds. You also accept that 54 per cent of the total amount is spent on staff and other administrative expenses alone. So, what are the reasons so to why you are not thinking of ways to reduce the expenditure on administrative side? Secondly, what are the difficulties which are you facing in the sphere of making more investment for the development of railways?

श्री नीतीश कुमार : सर, उत्तर में यह बतलाया गया है। इन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडीचर की बात की है वह 8 प्रतिशत के आसपास या इससे कुछ ज्यादा है, लेकिन जो पूरे स्टाफ पर एक्सपेंडीचर है वह इंटरिम बजट 1998-99 के हिसाब से लगभग 56 प्रतिशत है परन्तु यह एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडीचर नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडीचर जो जोनल रेलवे में या डिवीजनल में या और भी इस तरह के मेनेजमैंट के काम होते हैं। या रेलवे बोर्ड के स्तर पर जो मेनेजमैंट का कार्य है उसमें लगे हुए लोगों के खर्चे को एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडीचर माना जाता है। लेकिन बाकी जो स्टाफ कैास्ट है यह आपरेशन में लगे हुए लोग हैं या प्रोडक्शन में लगे हुए लोग हैं इसलिए उसको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडीचर नहीं माना जा सकता। अभी रेलवे की जो स्थिति है उसके हिसाब से 8 प्रतिशत से कुछ ज्यादा टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडीचर है जो बहुत ज्यादा नहीं कहा जा सकता है और जो स्टाफ कास्ट है वह स्वाभाविक है। चूंकि रेलवेज में आदमियों की जरूरत ज्यादा होती है और यह इस प्रकार का आर्गनाइजेशन है कि इसको मेनेज करने के लिए, इसको आपरेट करने के लिए और इससे जुड़ी हुई प्रोडक्शन यूनिट्स में जो लोग काम करते हैं वह सब चूंकि प्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं, आपरेशन से जुड़े हुए हैं इसलिए उनके वेतन को हम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडीचर नहीं मान सकते। इसलिए उस हिसाब से एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडीचर कम है। लेकिन पूरा जो वेतन का बिल, आप मान सकते हैं, वेज बिल इन्टरिम बजट के हिसाब से लगभग 56 प्रतिशत है, इसमें कुछ जो वृद्धि हुई है वह पंचम वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के कारण हुई है। अब ऐसी स्थिति में बहुत बड़े पैमाने पर मजदूरों को या काम करने वाले लोगों को रेलवे सिस्टम से हटाना सम्भव नहीं है। रेलवे के आपरेशन्स रिक्वायरमेंट को देखते हुए। लेकिन जैसे ही टेक्नालेजीकल अपग्रेडेशन होता है तो स्वाभाविक तौर पर कम लोगों की जरूरत पड़ती है। चूंकि रेलवे का काम बढ़ रहा है चाहे ज्यादा यात्रा करने वाले लोग हों, चाहे ज्यादा ट्रेनें चलाई जा रही हों, सब चीज की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। इसलिए जो प्रोडक्टिविटी है लेबर फोर्स की या वर्क फोर्स की वह प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी टेक्नालेजीकल अप-ग्रेडेशन से। यही स्थिति है।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया: सर, अभी मंत्री जी ने कहा कि 8 प्रतिशत व्यय है जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडीचर

में है, लेकिन वह मान गए कि 56 प्रतिशत भी है, टोटल मिलाकर जो सभी काम करने वालों को दिया जाता है। मैं दो मुद्दे आपके माध्यम से सदन के सामने मंत्री जी से पूछ रहा हूं। पहली बात जो सोशल आब्लीगेशन की है। क्या यह सच है कि दूसरे देशों में 30-40 प्रतिशत फण्ड्स सोशल ऑब्लीगेशन्स पर खर्च होता है जबकि हमारे यहां रेलवेज में यह केवल 18 प्रतिशत होता है?

दूसरे, चूंकि हम इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्ड नहीं कर रहे हैं और सारी धनराशि एम्पलाईज पर, काम करने वालों पर जा रही है इसलिए इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ रहा है और जहां तक फ्रेट ट्रेफिक की बात है वह कभी रेलवे के पास 70 प्रतिशत था और आज वह घटते-घटते 35 प्रतिशत रह गया है। क्या आप कोई उपाय कर रहे हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा आमदनी फ्रेट ट्रेफिक से होती है, फ्रेट ट्रेफिक से आमदनी बढ़ाकर, एम्पलाइज का खर्चा घटाकर, इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ाकर, जो फ्रेट ट्रेफिक रेलवे से रोड की तरफ डाइवर्ट हो रहा है उसको रोकने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं?

श्री नीतिश कुमार: सभापति महोदय, कल ही इस सदन में स्टेटस पेपर प्रस्तुत किया गया है और परसों दूसरे सदन में रखा गया था। उस स्टेटस पेपर में रेलवे की आज की पूरी स्थिति की चर्चा की गई है। जो आपने बताया है कि कुल मिलाकर फ्रेट ट्रेफिक रेलवे से रोड की तरफ डाइवर्ट हो रही है, उसके कारणों को भी गिनाया गया है और रेलवे के सामने जो कठिनाई है उसको भी रखा गया है। जहां तक उपाय करने का सवाल है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेन्डिचर पर अंकुश लगाने के लिए मितव्ययिता का रास्ता अख्तियार करने का प्रयत्न किया जा रहा है। इसके साथ ही जिस क्षेत्र में जहां तक संभव हो खर्च में कटौती की जा रही है। आमतौर पर एक शिकायत होती थी कि बहुत बड़ा खर्च विज्ञापनों और समारोहों पर किया जाता है। नई सरकार के आने के बाद उस दिशा में कदम उठाए गए हैं। आवभगत, तामझाम इन सब चीजों पर खर्च बहुत कम किया जा रहा है। यह बात सही है कि अगर पूरे ट्रम में देखें या रुपए के ट्रम में देखें ताकि इसका बहुत बड़ा असर नहीं पड़ता है। लेकिन फिर भी इन बातों का नीचे तक असर जाता है और हर स्तर पर मितव्ययिता का एक वातावरण बनेगा, यह तो एक प्रयास किया जा रहा है। लेकिन मैं पुन: जोर देकर कहना चाहूंगा कि रेलवे जिस ढंग की संस्था है, जिस ढंग का संगठन है कि इसमें लोग तो लगेंगे। आप इससे न घबराएं कि 56 प्रतिशत स्टाफ कॉस्ट है। ये निठल्ले बैठने वाले लोग नहीं हैं। अब धीरे-धीरे रेलवे में काम करने वाले लोगों की संख्या निरन्तर घटती जा रहीं है। एक कर्मचारी से एक से अधिक किस्म के काम लिए जा रहे हैं और अपग्रेडेशन के जरिए, टेक्नॉलेजिकल अपग्रेडेशन के जरिए उनकी प्रोडेक्टिविटी बढ़ाने का प्रयास हो रहा है जो कि निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। इसलिए मैं माननीय सदन और माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि यह प्रक्रिया जारी रहेगी। इसी के साथ मैं एक आग्रह जरूर करूंगा कि जो रेलवे की स्थिति है, जो रेलवे की कठिनाइयां हैं स्टेटस पेपर में, उसका उल्लेख किया गया है। इस पर सबको सोचना चाहिये कि रेलवे की हालत बेहतर कैसे हो उसमें जो सवाल सामने रखे गए हैं उन पर सबको खुले मन से विचार करना होगा।

श्री बरजिन्दर सिंह: महोदय, मंत्री जी ने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेन्डिचर और स्टाफ कॉस्ट की बात कही है और उन्होंने रेलवे स्टेटस पेपर में पांच साल में 10 प्रतिशत कॉस्ट कम करने के लिए कहा है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि वे कौन-कौन से मुद्दे हैं, कौन-कौन सी चीजें हैं जिन पर इफेक्टिवली ये खर्च कम करने के योग्य हो सकें?

श्री नीतीश कुमार: महोदय, रेलवे एक्सपैंड करता जा रहा है, सिस्टम एक्सपैंड करता जा रहा है। हर साल नई लाइनें बिछाई जा रही हैं, लाइनों का दोहरीकरण हो रहा है, गेज कनवर्जन को रहा है। इससे मांग बढ़ रही है, न सिर्फ यात्रा के क्षेत्र में बल्कि माल-यातायात के क्षेत्र में भी ज्यादा माल की ढुलाई रेलवे कर रही है। इस प्रकार जो एक्सपैंशन हो रहा है उसमें जो वर्क फोर्स है उसकी प्रोडेक्टिविटी बढ़ेगी। इसी स्तर से धीरे-धीरे टेक्नॉलजीकल अपग्रेडेशन करें और उनकी प्रोडेक्टिविटी बढ़ाएं तो जो आज परसन्टेज है वह धीरे-धीरे घटेगी।

PROF. RAM KAPSE: The Hon. Minister has placed before the House a Status Paper yesterday and he has mentioned that this is a commercial enterprise and we will have to run it like a commercial enterprise. On page No. 28, on this point he has mentioned staff cost as the major component of working expenses today, i.e. 56 per cent. It is imperative that if the Railways have to retain their pre-eminence in the transport sector, this will have to be reduced. Then, again, in the third paragraph he has said, considering the present financial situation of the organisation there is an urgent need to reverse this trend. The trend is, the percentage of staff cost to ordinary working expenses has increased. This is his Status Paper and he has already mentioned that his intention is to see to it that on staff management the expenditure is lowered. So I would like to ask the Minister as to what his plans are to lower the expenditure on staff as on today.

श्री नीतिश कुमार: महोदय, जैसा मैंने पहले कहा योजना रेलवे की यही है कि हम धीरे धीरे प्रोडक्टिविटी बढाकर उसके असर को कम करते चले जाएं, यही योजना है। लोगों को रेलवे सिस्टम से हटाकर हम कोई काम नहीं कर सकते है। लेकिन जैसे ही अनेक क्षेत्रों में उच्च स्तर की टेक्नालजी आती चली जा रही है। तो उसमें कई प्रकार के काम की जरूरत नही पड़ेगी और इस सिलसिले में जो काम में लगे हुए लोग हैं, धीरे धीरे वे या तो दूसरे काम में

जायेंगे या वे अपने काम से मुक्त होते चले जायेंगें । यह एक स्वतः चलने वाली प्रक्रिया होगी। इस तरह से हम लोग इसको करना चाहते हैं न कि एक झटके में लेबर फोर्स की संख्या को वर्क फोर्स की संख्या जो है, उसको हटा देना चाहते हैं लेकिन यह बात गलत भी है क्योंकि आज की तारीख मे जिस प्रकार का रेलवे सिस्टम है, उसमें लगे हुए लोग अपने दायित्व को भली भांति निभा रहे हैं और उनकी आवश्यकता भी है।

सैयद सिब्ते रज़ी: सर, माननीय मंत्री जी ने अभी कहा कि रेलवे का बहुत जबर्दस्त तरीके पर पिछले कई वर्षों में एक्सपैंशन हुआ है। नयी लाइनें बिछाई हैं, कन्वर्शन हुआ है। लेकिन मूलभूत जो यात्री हैं उनकी सुविधाओं में तो कमी आई है। आपने अपने जवाब में कहा है कि सन 1981 में एक कमेटी अप्वाईंट की गई थी जिसने रिफार्म का आस्पेक्ट देखा था। मैं, मान्यवर माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने इस रिपोर्ट को अडाप्ट कर लिया था और अगर अडाप्ट कर लिया था तो उस पर अब तक इयर वाइज क्या ऐक्शन टेकन हुआ है, इसको क्या आप बताने की कृपा करेंगे? साथ ही यात्रियों की सुविधाओं के बारे में जो एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे हैं उनको कम करके यात्रियों की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं क्योंकि साधारण पैसेंजर को रेलवे स्टेशनों पर पानी तक नहीं मिलता है और 10-12 रुपये में पानी की बोतल मिलती है जिसको जो गरीब यात्री है, साधारण यात्री है वह अफोर्ड नहीं कर सकता है?

†[]श्री सैयद सिब्ते रज़ी : सर - मा'नीय मंत्री जी ने कहा कि रेलवे का बहुत ज़बर्दस्त तरीक़ा पर पिछले कई वर्शों में एक्सपैंशन हुआ है - नयी लाईनें बिछाई हैं - कन्वर्शन हुआ है - लेकिन मूलभूत जो यात्री हैं उनकी सुविधाओं में तो कमी आई है - आपने अपने जवाब में कहा है कि सन् 1981 में एक कमेटी अप्वाईंट की गई थी जिसने रिफार्म का आस्पेक्ट देखा था - मैं मा'नीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि

क्या सरकार ने इस रिपोर्ट को एडाप्ट कर लिया था और अगर एडाप्ट कर लिया था तो इस पर अब तक इयर वाइज क्या ऐक्शन टेकन हुआ है, इसको क्या आप बताने की कृपा करेंगे - साथ ही यात्रियों की सुविधाओं के बारे में जो एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे हैं उनको कम करके यात्रियों की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं क्योंकि साधारण पैसेंजर को रेलवे स्टेशनों पर पानी तक नहीं मिलता है और 10-12 रुपये में पानी की बोतल मिलती है जिसको जो गरीब यात्री है, साधारण यात्री है वह अफोर्ड नहीं कर सकता है?

श्री नीतीश कुमार: सभापति महोदय, कुछ बातों के उत्तर के लिए तो उन्हें कुछ क्षण इंतजार करना चाहिए। रेलवे बजट प्रस्तुत होने वाला है।

जहां तक रेलवे रिफार्म कमेटी का सवाल है, 1983 की इसकी रिपोर्ट है और कई वैल्यूम्स में उनकी रिपोर्ट है और लगभग 2000 रेकमन्डेशंस की है। इन 2000 रेकमन्डेशंस में ज्यादा रेकमन्डेशंस रेलवे ने स्वीकार कर ली है और उस पर अमल करना भी शुरू कर दिया है। लेकिन इसमें कई रेकमन्डेशंस हैं, जैसी कि मुझे जानकारी दी गई है। उनको एडाप्ट करना संभव नहीं है। यह बहुत पुरानी रिपोर्ट है। लेकिन इसके अलावा भी रेलवे सिस्टम में निरन्तर एक प्रयास चलता रहा है, एफिसियेंसी बढ़ाने का, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का और इस सिलसिले में अलग अलग समय पर अलग अलग काम होते रहते हैं। अगर माननीय सदस्य रेलवे रिफार्म कमेटी की सारी अनुशंसाओं का उल्लेख करना चाहेंगे तो पूरी की पूरी रिपोर्ट मेरी समझ से जरूर उपलब्ध होगी, लेकिन अगर वह चाहेंगे तो फिर नये सिरे से हम उस रिपोर्ट को संसद के पुस्तकालय में फिर से उपलब्ध करा सकते हैं। वैसे मैं समझता हूं कि यह जरूर वहां उपलब्ध होगी।

†[]Transliteration in Arabic Script.